न्यूज़ टुडे

CSEP रिपोर्ट ने 'हार्ड-टू-अबेट' क्षेत्रकों के डीकार्बोनाइजेशन हेतु अधिक वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता को रेखांकित किया

सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस (CSEP) के एक वर्किंग पेपर ने चार प्रमुख 'हार्ड-टू-अबेट' क्षेत्रकों के बड़े पैमाने पर डीकार्बोनाइजेशन हेतु 2022 से 2030 के बीच भारत की जलवायु वित्त-पोषण आवश्यकताओं का आकलन किया है। ये चार 'हार्ड-टू-अबेट' क्षेत्रक हैं: **बिजली, सड़क परिवहन, इस्पात और सीमेंट**। इस वर्किंग पेपर का शीर्षक "इंडियाज़ क्लाइमेट फाइनेंस रिक्वायरमेंट्स" है।

- अधिक ऊर्जा-खपत और उच्च उत्सर्जन वाली उत्पादन प्रक्रियाओं के कारण इन्हें "हार्ड-टू-अबेट" क्षेत्रक माना जाता है। दूसरे शब्दों में ऐसे क्षेत्रक, जिनमें से उत्सर्जन को कम करना बहुत मुश्किल होता है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **बढ़ता उत्सर्जन:** वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में भारत की हिस्सेदारी 1990 की 2.5% से बढ़कर 2023 में लगभग 8.2% हो गई।
  - कुल उत्सर्जन बढ़ने के बावजूद, भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वैश्विक औसत से कम है।
- **आर्थिक विकास को खतरा:** जलवायु परिवर्तन से आर्थिक विकास को गंभीर खतरा पहुंच सकता है। एक अनुमान के अनुसार, प्रति व्यक्ति GDP में 2030 तक 2.0% और 2047 तक 3-9% तक की कमी हो सकती है। यह कमी जलवायु परिवर्तन हेतु शमन प्रयासों पर निर्भर करेगी।
- **अनुमानित जलवायु वित्त आवश्यकता:** उपर्युक्त चार प्रमुख क्षेत्रकों के बड़े पैमाने पर डीकार्बोनाइजेशन के लिए भारत की कुल जलवायु वित्त आवश्यकता औसतन प्रतिवर्ष GDP की लगभग 1.3% होगी।

नीतिगत सिफारिशें

- **निजी क्षेत्र से निवेश को प्रोत्साहित करना:** निम्न-कार्बन उत्सर्जन तकनीकों और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने हेतु निजी क्षेत्र से निवेश को प्रोत्साहन देना चाहिए और विनियामकीय कदम उठाने चाहिए।
- **अवसंरचना विकास में सरकार की भूमिका:** सरकार को EV चार्जिंग नेटवर्क जैसी अति-महत्वपूर्ण अवसंरचना विकसित करनी चाहिए। साथ ही, उसे विद्युत क्षेत्रक में ग्रिड प्रबंधन और बैटरी स्टोरेज के अनुसंधान एवं विकास में तथा हाइड्रो-पंप स्टोरेज में निवेश करना चाहिए।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा:** हार्ड-टू-अबेट क्षेत्रकों में कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज (CCS) प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान हेतु वैश्विक सहयोग आवश्यक है।

उत्तर-पश्चिम भारत में "2-सिस्टम इंटरैक्शन या दो प्रणालियों की परस्पर क्रिया" नामक मौसमी घटना के कारण भारी वर्षा और भूस्खलन हुआ

IMD ने बताया कि **मानसून ट्रफ और एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के संगम के कारण** यह स्थिति बनी है। इसे ही "**2-सिस्टम इंटरैक्शन**" कहा जाता है। इसमें दो अलग-अलग मौसम प्रणालियां मिलकर मौसम में तेज़ बदलाव लाती हैं, जिससे अचानक भारी वर्षा और भूस्खलन जैसी आपदाएं घटित होती हैं।

- यह परस्पर क्रिया तब और तीव्र हो जाती है, **जब अतिरिक्त परिसंचरण, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से नमी सोखकर उसे हिमालय की तराई** तक ले आती हैं।

मानसून ट्रफ (Monsoon Trough) और उसका प्रभाव

- मानसून ट्रफ **उत्तर-पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी तक फैला एक लम्बा निम्न दाब क्षेत्र** है। यह **मानसूनी हवाओं की एक अर्ध-स्थायी (semi-permanent) विशेषता** की तरह काम करता है।
- जब यह **ट्रफ दक्षिण की ओर खिसकता है,** तो आमतौर पर पूरे भारत में **सक्रिय मानसून की स्थिति देखने को मिलती** है।
- उपर्युक्त परस्पर क्रिया के दौरान, **मानसून ट्रफ का पश्चिमी छोर अपनी सामान्य स्थिति** पर था, जबकि **पूर्वी छोर अपनी सामान्य अवस्थिति से थोड़ा दक्षिण** की ओर था।

पश्चिमी विक्षोभ और उनके प्रभाव

- पश्चिमी विक्षोभ **निम्न-दाब प्रणालियां** हैं, जो आमतौर पर **सर्दियों में पश्चिम से पूर्व** की ओर बढ़ती हुई **उत्तरी भारत पर अपना प्रभाव** दिखाती हैं तथा अपने साथ **बादल तथा वर्षा** लेकर आती हैं।
  - ये सामान्यतः **भूमध्य सागर (Mediterranean) क्षेत्र** से उत्पन्न होते हैं।
- जब इनका **अभिसरण मानसूनी प्रणाली** से होता है, तो **मौसम बहुत अस्थिर** हो जाता है। इससे **वर्षा की गतिविधि में उल्लेखनीय वृद्धि** देखने को मिलती है।
- पश्चिमी विक्षोभ **उत्तर-पश्चिम भारत में एक चक्रवाती परिसंचरण (cyclonic circulation)** के रूप में दिखाई देता है।

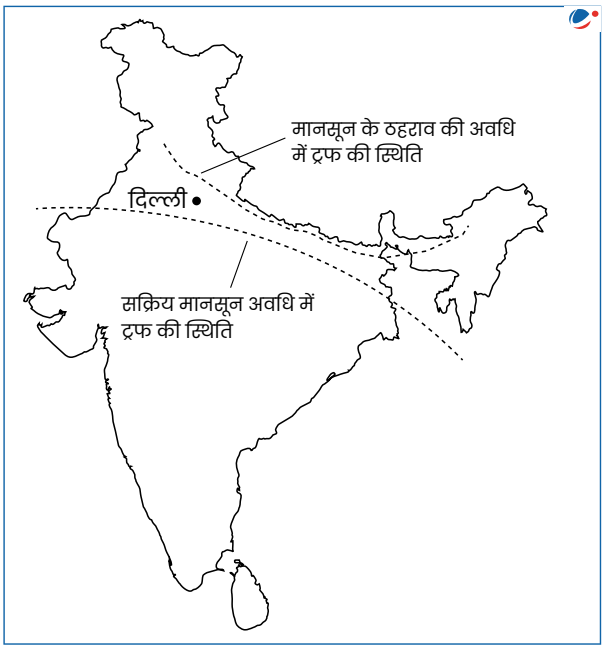

प्रधान मंत्री ने 'वोकल फॉर लोकल' को 'विकसित भारत' का मार्ग बताया

प्रधान मंत्री ने देशवासियों से **आगामी त्यौहारों के सीजन में स्वदेशी वस्तुओं को खरीदने और आत्मनिर्भर भारत के मार्ग पर चलकर 'विकसित भारत' के सपने को साकार** करने की अपील की।

- **'वोकल फॉर लोकल'** का अर्थ है कि देश अपनी ज़रूरतों की वस्तुएं स्वयं बनाए, उनका स्वयं इस्तेमाल करे और उत्पादन व आपूर्ति में आत्मनिर्भर बने।

भारत के लिए 'वोकल फॉर लोकल' और 'आत्मनिर्भर भारत' की आवश्यकता क्यों है?

- **आर्थिक अनिवार्यताएं:** एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था वैश्विक व्यवधानों, जैसे भू-राजनीतिक संघर्षों और ट्रेड वार **(जैसे हाल ही में अमेरिका द्वारा लगाए गए अनुपातहीन टैरिफ)**, का बेहतर ढंग से सामना कर सकती है।
- **जनसांख्यिकीय लाभांश:** घरेलू विनिर्माण, MSMEs और कृषि क्षेत्रक को मजबूत करने से भारत की युवा आबादी के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हो सकते हैं।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** घरेलू तकनीकी क्षमता बढ़ाने से डेटा सुरक्षा सुनिश्चित होगी और साइबर हमलों से बचाव संभव होगा।
- **सतत विकास:** स्वदेशी क्षमताओं से संसाधन दक्षता सुनिश्चित हो सकती है और पुनर्चक्रण को बढ़ावा मिला सकता है तथा कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद मिल सकती है। यह जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सहायक है।
- **राजनयिक:** आत्मनिर्भरता का अर्थ अलगाववाद नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए शक्ति संगठित करना है। भारत फार्मा, IT, हरित ऊर्जा और डिजिटल समाधानों का एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता बन सकता है।

निष्कर्ष

आत्मनिर्भर भारत का तात्पर्य अलगाववाद से नहीं, बल्कि **वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करते हुए आर्थिक मजबूती, सामाजिक समावेशिता, तकनीकी उन्नति और रणनीतिक स्वायत्तता** सुनिश्चित करने के लिए घरेलू क्षमताओं का निर्माण करना है।

'आत्मनिर्भर भारत' और 'वोकल फॉर लोकल' के लिए उठाए गए कदम

- **नीतिगत और संरचनात्मक सुधार:** आत्मनिर्भर भारत अभियान (2020 में सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 10% का प्रोत्साहन पैकेज), विभिन्न क्षेत्रकों के लिए PLI योजनाएं, श्रम कानूनों का सरलीकरण जैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB) सुधार, आदि।
- **अवसंरचना और औद्योगिक विकास:** पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, आदि।
- **डिजिटल आत्मनिर्भरता:** डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकॉन इंडिया और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, आदि।
- **'वोकल फॉर लोकल' को बढ़ावा देना:** प्रधान मंत्री का **'खादी फॉर फैशन, खादी फॉर नेशन'** का मंत्र; GeM के तहत स्थानीय वस्तुओं की अनिवार्य खरीद; नीति आयोग द्वारा 'वोकल फॉर लोकल' पहल; GI-टैग वाले उत्पाद और एक जिला एक उत्पाद (ODOP) योजना, आदि।

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधान मंत्री और चीनी राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय बैठक आयोजित हुई

भारत और चीन के नेताओं की यह महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक **संयुक्त राज्य अमेरिका की टैरिफ नीतियों को लेकर बढ़ते वैश्विक तनाव** के बीच आयोजित हुई है। इस तरह यह बैठक, **भारत-चीन संबंधों को सुधारने और स्थिर करने की दिशा में नई प्रतिबद्धता** का संकेत देती है।

- हालांकि, अभी भी **भारत और चीन के बीच कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करते हैं; जैसे:**
  - अनसुलझे सीमा विवाद,
  - भारत का चीन के साथ अधिक व्यापार घाटा,
  - चीन-पाकिस्तान गठजोड़,
  - हिंद महासागर क्षेत्र में 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' के तहत चीन की घेराबंदी की नीति, आदि।

भारत-चीन द्विपक्षीय बैठक के प्रमुख परिणाम

- **साझेदारी और स्थिरता:** दोनों नेताओं ने फिर से इस बात की पुष्टि की है कि **'भारत और चीन विकास के साझेदार हैं, प्रतिद्वंद्वी नहीं।'** उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि **'मतभेद विवाद में नहीं बदलने चाहिए।'**
  - **एक-दूसरे के सम्मान, हित और संवेदनशीलता का ध्यान** रखने पर आधारित स्थिर संबंध **दोनों देशों की प्रगति तथा 'बहुध्रुवीय विश्व एवं एशिया'** के लिए महत्वपूर्ण माने गए।
- **सीमा पर शांति और विवाद समाधान:** दोनों नेताओं ने सीमा विवाद के **निष्पक्ष, उचित और एक-दूसरे को स्वीकार्य समाधान** के प्रति प्रतिबद्धता जताई। यह प्रतिबद्धता दोनों देशों के **समग्र द्विपक्षीय संबंधों और उनकी जनता के दीर्घकालिक हितों से निर्देशित** होगी।
- **दोनों देशों की जनता के बीच संबंधों (P2P) को मजबूती:** सीधी उड़ानों एवं वीज़ा सुविधा के माध्यम से P2P संबंधों को और बढ़ाने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया। ये घोषणाएं **कैलाश मानसरोवर यात्रा और पर्यटक वीज़ा की बहाली की अगली कड़ियां** हैं।
- **आर्थिक और व्यापारिक संबंध:** द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों के विस्तार तथा व्यापार घाटे को कम करने के लिए राजनीतिक एवं रणनीतिक एप्रोच अपनाने पर बल दिया गया।

निष्कर्ष

प्रतिद्वंद्विता के ऊपर साझेदारी को प्राथमिकता देना, सीमा तनाव कम होने पर संतोष जताना, सीमा विवाद समाधान के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट करना तथा SCO और ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय मंचों के प्रति दोनों देशों का समर्थन जैसे उपाय वास्तव में भारत-चीन संबंधों को **पुनः संतुलित एवं मजबूत करने की साझा रणनीति के परिचायक** हैं।

सरकार ने वृक्षारोपण-आधारित ग्रीन क्रेडिट्स पर संशोधित मानदंड जारी किए

इन संशोधित मानदंडों को **ग्रीन क्रेडिट्स नियम, 2023** के तहत जारी किया गया है। ये संशोधित मानदंड अब केवल **प्रति हेक्टेयर वृक्षारोपण पर ही नहीं, बल्कि वृक्षों की वृद्धि और उनकी उत्तरजीविता** पर भी फोकस करेंगे।

संशोधित मानदंडों पर एक नजर

- **ग्रीन क्रेडिट्स का दावा:** यह दावा **बंजर वन भूमि पर 5 साल की वन पुनर्बहाली के बाद और कम-से-कम 40% वितान घनत्व (Canopy density) प्राप्त करने** पर किया जा सकता है।
  - 1 ग्रीन क्रेडिट = 1 नया वृक्ष (5 वर्ष आयु)।
- ग्रीन क्रेडिट्स **गैर-व्यापार योग्य और गैर-हस्तांतरणीय** हैं। केवल एक कंपनी अपने ग्रीन क्रेडिट्स **अपनी ही सहायक कंपनी को हस्तांतरित** कर सकती है।
- क्रेडिट्स का **क्षतिपूरक वनीकरण आवश्यकताओं, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) दायित्वों और परियोजना-विशिष्ट कानूनी वृक्षारोपण जिम्मेदारियों** को पूरा करने के लिए **केवल एक बार विनिमय** किया जा सकता है।
- एक बार विनिमय किए जाने के बाद, क्रेडिट्स का **पुन: उपयोग नहीं** किया जा सकता है।

ग्रीन क्रेडिट्स (GCs) क्या हैं?

- यह पर्यावरणीय पुरस्कारों का एक रूप है, जिन्हें **उन व्यक्तियों/ संस्थाओं को दिया जाता है, जो ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण में हिस्सा** लेते हैं।

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम (GCP, 2023) के बारे में

- यह देश भर में **स्वैच्छिक वृक्षारोपण गतिविधियों को प्रोत्साहित** करने के लिए एक अभिनव बाजार-आधारित तंत्र है।
- **शुरुआत:** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986** के तहत शुरू किया गया है।
- **विशेषताएं:**
  - **भूमि बैंक निर्माण:** यह **वन विभागों द्वारा बंजर वन भूमि के पंजीकरण** के माध्यम से किया जाएगा।
  - **भागीदारी को प्रोत्साहन: सरकारी निकायों, गैर-सरकारी संगठनों, निजी फर्मों,** आदि को वनीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना।
  - **प्रोत्साहन:** वृक्षारोपण के लिए पुरस्कार के रूप में ग्रीन क्रेडिट्स जारी करना।

अन्य सुर्खियां

बीमा क्षेत्रक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)

केंद्र सरकार ने **भारतीय बीमा कंपनियां (विदेशी निवेश) संशोधन नियम, 2025** का ड्राफ्ट जारी किया है।

ड्राफ्ट नियम के बारे में

- **जारी करने वाला:** केन्द्रीय वित्त मंत्रालय का वित्तीय सेवाएं विभाग। इसे **बीमा अधिनियम, 1938** के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत जारी किया गया है।
- **विदेशी निवेश की ऊपरी सीमा में बदलाव:** बीमा क्षेत्रक में FDI की ऊपरी सीमा **74% से बढ़ाकर 100%** करने का प्रावधान है, हालांकि इसके लिए संसद की मंजूरी लेनी होगी।
- **FDI की अनुमति का माध्यम:** ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से, **भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI)** इसकी निगरानी करेगा।
- **उद्देश्य:** बीमा क्षेत्रक की विकास क्षमता को सामने लाना और इसके अनुमानित 7.1% वार्षिक विकास दर की प्राप्ति में मदद करना।

एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम

केंद्र सरकार ने **वस्त्र निर्यातकों** को राहत प्रदान करने के लिए **एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम** के तहत उत्पादों के लिए **निर्यात दायित्व पूरा करने की अवधि** बढ़ा दी है।

एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के बारे में

- **आशय:** यह एक प्रकार का **निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम** है, जो निर्यात उत्पाद में भौतिक रूप से शामिल होने वाले इनपुट (सामान्य अपशिष्ट की अनुमति सहित) के **शुल्क-मुक्त आयात** की अनुमति देता है। इसके लिए **अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) के** अनुपालन की आवश्यकता नहीं होती है।
- इसमें **'विनिर्माता निर्यातक'** अथवा **सहायक विनिर्माता निर्यातक से जुड़े मर्चेंट निर्यातक** शामिल किए गए हैं।
- किसी दिए गए उत्पाद के लिए **अनुमत इनपुट की मात्रा** उस निर्यात उत्पाद के लिए परिभाषित विशिष्ट मानदंडों पर आधारित होती है।

मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने **गुजरात में भारत का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम** लागू करने के लिए समझौता किया है।

मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) के बारे में

- यह एक प्रकार का टोल सिस्टम है जिसमें वाहनों को रोके बिना टोल वसूल लिया जाता है। इसमें **FASTag और वाहन पंजीकरण संख्या (VRN)** को **हाई-परफॉर्मेंस RFID रीडर्स और कैमरों** से पढ़ा जाता है।
- इसे **केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH)** ने शुरू किया है।
- **महत्व:**
  - **बाधा रहित टोल वसूली:** टोल वसूलने के लिए वाहनों को रोकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
  - टोल पर **भीड़-भाड़ में कमी** आएगी और **यात्रा में कम समय** लगेगा। इससे **ईंधन दक्षता में वृद्धि** होगी एवं **उत्सर्जन में कमी** आएगी।
  - टोल वसूली में सुधार होगा और **पारदर्शिता बढ़ेगी**। इससे राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क अधिक स्मार्ट और तेज बनेगा।

APK स्कैम

APK स्कैम, आज देश में सबसे तेजी से बढ़ते साइबर अपराध खतरों में से एक बन गया है।

APK स्कैम के बारे में

- यह एक प्रकार की धोखाधड़ी है। इसमें अपराधी **सोशल इंजीनियरिंग** का उपयोग करके लोगों को उनके मोबाइल फोन पर **मैलिशियस एंड्रॉइड पैकेज किट (APK) फ़ाइलें** इंस्टॉल करने के लिए बहकाते हैं।
  - स्कैम करने वाले सोशल इंजीनियरिंग तकनीकों का इस्तेमाल करके **भरोसेमंद व्यक्तियों या संस्थाओं (जैसे-बैंक कर्मचारियों या सरकारी अधिकारियों) के रूप में** अपने आप को प्रस्तुत करते हैं तथा डर या जल्दी निर्णय लेने का माहौल बनाते हैं।
- APK फ़ाइलें इंस्टॉल हो जाने के बाद, ठग **पीड़ित की सहमति के बिना अनधिकृत वित्तीय लेन-देन कर सकते हैं**, जिससे भारी वित्तीय नुकसान होता है।

ब्लू ड्रैगन

ब्लू ड्रैगन्स के कारण स्पेन के कई समुद्र तट बंद कर दिए गए।

ब्लू ड्रैगन्स के बारे में

- ब्लू ड्रैगन (**ग्लौकस एटलांटिकस**) आकार में छोटे (4 सेमी लंबे) और तैरते हुए समुद्री स्लग होते हैं, जो महासागरों की सतह पर रहते हैं।
- **प्राप्ति:** वे आम तौर पर **प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर के गर्म उष्णकटिबंधीय जल** में पाए जाते हैं।
- **मनुष्यों पर प्रभाव:** ब्लू ड्रैगन का डंक मनुष्यों के लिए बेहद दर्दनाक हो सकता है और यह त्वचा पर लालिमा और सूजन का कारण बन सकती है तथा मतली और उल्टी हो सकती है। हालांकि, इससे मृत्यु नहीं होती।

डिजिटल लॉकर

नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) ने **डिजिलॉकर** और **ई-डिस्ट्रिक्ट** प्लेटफॉर्म्स पर लगभग **2000 ई-सरकारी सेवाओं** के अखिल भारतीय एकीकरण को सफलतापूर्वक सक्षम किया है।

- NeGD, **धारा 8 के तहत एक गैर-लाभकारी कंपनी** है। इसे **केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)** के तहत एक स्वतंत्र व्यावसायिक प्रभाग के रूप में स्थापित किया गया है।

डिजिलॉकर के बारे में

- **उद्देश्य:** यह MeitY की एक प्रमुख पहल है, जो नागरिकों को प्रामाणिक डिजिटल दस्तावेज़ प्रदान करके उनका **'डिजिटल सशक्तिकरण'** सुनिश्चित करती है।
- **कानूनी स्थिति: डिजिलॉकर** पर उपलब्ध डाक्यूमेंट्स को **IT (डिजिटल लॉकर सुविधाएं प्रदान करने वाले मध्यवर्तियों द्वारा सूचना का संरक्षण और प्रतिधारण) नियम, 2016** के अनुसार मूल डाक्यूमेंट्स के समान कानूनी दर्जा प्राप्त हैं।
- **लाभ:**
  - यह नागरिकों के लिए **किसी भी समय, कहीं भी पहुँच और तेज़ी से सेवा** वितरण सुविधाएं प्रदान करता है।
  - यह एजेंसियों के लिए **प्रशासनिक बोझ को भी कम** करता है और रियल टाइम सत्यापन के साथ **डाक्यूमेंट्स का सुरक्षित रूप से आदान-प्रदान को सुविधाजनक** बनाता है।

मर्केटर मैप

अफ्रीकी संघ ने **'करेक्ट दी मैप'** अभियान का समर्थन किया है ताकि मर्केटर प्रोजेक्शन पर बने मानचित्र के स्थान पर **इक्वल अर्थ मैप** जैसे विकल्पों को अपनाया जा सके।

मर्केटर प्रोजेक्शन आधारित मानचित्र के बारे में

- **उत्पत्ति एवं उद्देश्य:** इसे **जेरार्डस मर्केटर द्वारा 1569 में डिजाइन** किया गया था। मर्केटर प्रोजेक्शन आधारित मानचित्र का उद्देश्य समतल मानचित्र पर सीधी रेखाओं के रूप में **रंब लाइन्स** को प्रदर्शित करके नेविगेशन संबंधी समस्याओं को हल करना था।
  - **रंब लाइन्स:** भूपृष्ठ पर एक रेखा जो सभी दिशांतर रेखाओं को समान (एक ही) कोण पर काटती है। मर्केटर प्रक्षेप पर यह रेखा एक सीधी रेखा के रूप में दर्शाई जाती है ।
- **विशेषताएँ:** यह एक कन्फॉर्मल मानचित्र है, जो स्थानीय आकृतियों और कोणों को सही दिखाता है तथा उत्तर-दक्षिण स्केल को बढ़ाकर दिखाया जाता है।
- **विकृतियाँ:** यह मापन मानचित्र पर किसी देश के आकार और विस्तार को बिगाड़ देता है। यह ध्रुवों के पास के भू-भागों को वास्तविकता से बड़ा और भूमध्यरेखीय क्षेत्रों को छोटा दिखाता है। उदाहरण के लिए, **अफ्रीका, ग्रीनलैंड जितना ही बड़ा दिखाई देता है, जबकि वास्तव में अफ्रीका उससे 14 गुना बड़ा है।**

मैग्सेसे पुरस्कार

गैर-सरकारी संगठन (NGO) **'एजुकेट गर्ल्स' ने 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार** जीता है। **यह पुरस्कार जीतने वाला 'एजुकेट गर्ल्स' भारत का पहला संगठन** है।

रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में

- **स्थापना: 1957 में**
- **पहला पुरस्कार:** यह **1958 में दिया** गया था। इसे **एशिया का सर्वोच्च सम्मान** और **एशिया का नोबेल पुरस्कार भी** माना जाता है।
- **कब दिया जाता है:** प्रतिवर्ष।
- यह फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति **रेमन मैग्सेसे** की स्मृति में और उनके नेतृत्व कौशल के सम्मान में दिया जाता है।
- **मान्यता और सम्मान:** यह पुरस्कार एशिया के उन **व्यक्तियों और संगठनों** को दिया जाता है, जिन्होंने **नृजाति, पंथ, लिंग या राष्ट्रीयता की सीमा से परे जाकर,** किसी सार्वजनिक मान्यता की अपेक्षा रखे बिना **उदारतापूर्वक दूसरों की मदद** की है।

युद्ध कौशल अभ्यास

भारतीय थल सेना ने **पूर्वी हिमालय के कामेंग क्षेत्र में 'युद्ध कौशल 3.0' अभ्यास** आयोजित किया।

'युद्ध कौशल' अभ्यास के बारे में

- इस अभ्यास का मुख्य आकर्षण नवगठित **अश्नी (ASHNI) प्लाटून** की पहली ऑपरेशनल तैनाती थी। इसे **अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को पारंपरिक युद्ध कौशल के साथ एकीकृत करके युद्धक्षेत्र में निर्णायक बढ़त हासिल करने के लिए** बनाया गया है।
- यह अभ्यास **भारतीय रक्षा उद्योग की सक्रिय भागीदारी की शुरुआत** का भी संकेत है, जो आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण के तहत **स्वदेशी इनोवेशन को बढ़ावा देने की दिशा** में एक कदम है।

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

पापुआ न्यू गिनी (पोर्ट मोरेस्बी)

भारतीय नौसेना का युद्धपोत **पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह** में शामिल होने के लिए पोर्ट मोरेस्बी पहुंचा।

भौगोलिक अवस्थिति

- यह **दक्षिण-पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय देश** है।
- **शामिल क्षेत्र:**
  - **न्यू गिनी** के पूर्वी भाग का आधा हिस्सा (दूसरा सबसे बड़ा द्वीप)।
  - **बिस्मार्क द्वीपसमूह** - न्यू ब्रिटेन, न्यू आयरलैंड, एडमिरल्टी द्वीप।
  - **बोगेनविल और बुका** (सोलोमन द्वीप समूह का हिस्सा)।
- **भूमि-सीमा:** पश्चिम की तरफ से **इंडोनेशिया से** लगती है।

भौगोलिक विशेषताएं

- **सबसे ऊँची चोटी:** बिस्मार्क रेंज में **माउंट विल्हेम** (4,509 मीटर)।
- **भूवैज्ञानिक इतिहास:** ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और प्रशांत प्लेट के टकराव ने इसके भूवैज्ञानिक इतिहास को आकार दिया है।

अहमदाबाद भोपाल चंडीगढ़ दिल्ली जयपुर जोधपुर गुवाहाटी हैदराबाद लखनऊ प्रयागराज पुणे राँची सीकर